

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-4 / अ0प्र0-03-01 / 2022

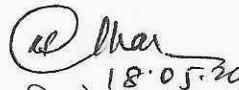
296

/पटना, दिनांक:- 18/5/26

अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पूर्णियों के पत्रांक-206 दिनांक-25.02.2025 के द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में श्री राम भगवान सिंह, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पूर्णियों सम्प्रति सेवानिवृत्त का दिनांक-01.04.1991 से 31.07.1991 तक, दिनांक-01.01.1993 से 15.02.1993 तक एवं दिनांक-01.07.2000 से 31.03.2004 तक कुल 1538 दिन को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230, 236 एवं 248 के तहत निम्न रूप से स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. दिनांक-01.04.1991 से 31.07.1991 तक, दिनांक-01.01.1993 से 15.02.1993 तक एवं दिनांक-01.07.2000 से 09.11.2000 तक कुल 300 दिनों को उपार्जित अवकाश के रूप में।

2. दिनांक-10.11.2000 से 31.03.2004 तक कुल 1238 दिनों को असाधारण अवकाश के रूप में।


(जय किशोर ठाकुर)

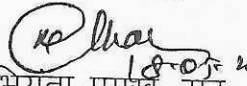
अभियंता प्रमुख-सह-

अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

/पटना, दिनांक:-

ज्ञापांक:-4 / अ0प्र0-03-01 / 2022

प्रतिलिपि:- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

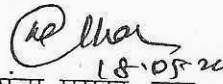

अभियंता प्रमुख-सह-

अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

/पटना, दिनांक:-

ज्ञापांक:-4 / अ0प्र0-03-01 / 2022

प्रतिलिपि:- श्री राम भगवान सिंह, सेवानिवृत्त कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पूर्णियों एवं अन्य सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख-सह-

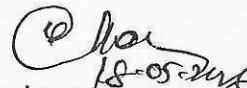
अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

/पटना, दिनांक:-

ज्ञापांक:-4 / अ0प्र0-03-01 / 2022

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पूर्णियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि श्री सिंह, सेवानिवृत्त कनीय अभियंता, का स्वीकृत अवकाश अवधि को सेवा पुस्त में निश्चित रूप से अंकित करते हुए अग्रेतर कार्रवाई किया जाय।


अभियंता प्रमुख-सह-

अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापक:-4/अ0प्र0-03-01/2022

6088

/पटना, दिनांक:- 18/5/26

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Relha
18-05-2026

अभियंता प्रमुख-सह-

अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

844